[2008] 2 S.C.R. 756

बालू @ बक्थवतचालू

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 295)

12 फरवरी, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

किशोर न्याय अधिनियम, 1986-अपराधी किशोर की आयु -अपराध कारित करने की दिनांक पर- उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील-विचारण न्यायाधीश को किशोर की आयु के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2000 - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) संशोधन अधिनियम,2006

इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अपीलार्थी, जिस पर आई० पी० सी० की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था, घटना की तारीख पर किशाोर था।

अपील की अनुमति देते हुए विचारण न्यायाधीश को निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित कियाः

वर्तमान मामले में, विचारण न्यायाधीश को अपराध करने की तारीख को अपीलार्थी की उम्र के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि अपीलार्थी किशोर न्याय अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत किशोर था, उन्हें कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ना चाहिए। [पैरा 16] [765-बी]

प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य 2005 (3) एससीसी 551; *गुरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य* 2005 (12) एससीसी 615; *रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* 2006 (5) एससीसी 584; *जितेंद्र राम बनाम झारखंड राज्य* 2006 (9) एससीसी 428 का आधार लिया गया।

अर्नित दास बनाम बिहार सरकार 2000 (5) एस० सी० सी० 488- निर्दिष्ट है -

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 295/2008

मद्रास उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील संख्या 724/2001 के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.11.2005 से

राणा मुखर्जी, आनन्द, इन्दराणी, ईशित सहरिया और अभिजीत सैनगुप्ता अपीलार्थी के लिए।

वी०जी० प्रज्ञासम, एस० जॉसफ अरिस्तोतल, एस० प्रभू रामासुभ्रमनियन प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस०बी० सिन्हा, जे० द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई

2. अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित करने का अभियोग चलाया गया था। घटना दिनांक 20 अप्रैल 1998 को कारित की गई थी। उसे दिनांक 8 मई 1998 को राजु मिस्त्री के हत्या के आरोप में गिरफतार किया गया था। दिनांक 30 नवम्बर 1998 को अन्वेषण समाप्त होने पर उसके विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28 अप्रैल 2000 को निर्णय पारित किया। उस निर्णय में उसकी आयु 18 वर्ष दर्शाई गई थी। उसे बोस्टल स्कूल में भेजने के लिए, धारा 10-क तमिलनाडू बोस्टल स्कूल अधिनियम के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया , जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील, आक्षेपित निर्णय के द्वारा खारिज कर दी गई।

इस न्यायालय ने इस संदर्भ मे कि क्या अपीलार्थी घटना घटित होने की दिनांक पर किशोर था, एक सीमित नोटिस जारी किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मुखर्जी ने यह निवेदन किया कि अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री की दृष्टि में, अपीलार्थी की आयु के संबंध में जांच प्रारंभ की जानी चाहिए थी।

4. किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (एतपश्चात अधिनियम), जब घटना कारित की गई लागू था, जिसके अंतर्गत धारा 21 (ज) में किशाेर को परिभाषित किया गया, जिसने 16 वर्ष की आयू को पूर्ण न किया हो।

5. हालाँकि, संसद ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू किया, यह1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी हुआ।

6. धारा 2 (ट) 'किशोर' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

7. अधिनियम की धारा 20 निम्नानुसार हैः-

" 20. लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधानः

इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी उस तारीख को जिस दिन यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू हुआ, उस क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में लंबित किशाेर के संबंध में सभी कार्यवाही, उस न्यायालय में वैसे ही जारी रखी जाएगी, जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था अैार यदि न्यायालय को पता चलता है कि किशोर ने अपराध किया है , तो वह ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करेगी अैार किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय किशोर को बोर्ड को भेज देगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत इस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा, जैसे कि इस अधिनियम के तहत जांच करने पर वह संतुष्ट हो गया हो कि एक किशोर ने अपराध किया है।"

8. एक प्रश्न उठाया गया कि इस न्यायालय के निर्णय *अर्नित दास बनाम बिहार राज्यः* (2000) 5 एस० सी० सी० 488 के आलोक में, क्या घटना घटित होने की दिनांक या अभियुक्त को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की दिनांक, किशोर की आयु का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक होगी। इस निर्णय की शुद्धता की जांच *प्रताप सिंह बनाम झारखण्ड राज्य* (2005) 3 एस०सी०सी० 551 में संवैधानिक पीठ के समक्ष आई। संवैधानिक पीठ ने निर्णीत किया-

"31 अधिनियम की धारा 20 ऊपर उदधृत लंबित प्रकरणों के संदर्भ में विशेष प्रावधानों से संबधित है तथा गैर अस्थिर खण्ड से आरंभ होती है। यह वाक्य "इस अधिनियम में निहित कुछ होते हुए भी, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही" बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट, किसी भी न्यायालय में किशोर से संबंधित लंबित कार्यवाहिया उन कार्यवाहियों से संबंधित है जो अधिनियम 2000 के प्रभावी होने से पहले प्रारंभ की गई थी तथा जो अधिनियम 2000 के प्रभावी होने पर लंबित हैं। "कोई भी अदालत" शब्द में साधारण आपराधिक न्यायालय भी शामिल होंगे। यदि व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत "किशोर" था, तो आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही लंबित नहीं होगी। वे आपराधिक अदालतों में केवल तभी लंबित होंगे जब लड़के की उम्र 16 साल पूर्ण हो चुकी हो या लड़की की उम्र 18 साल पूर्ण हो चुकी हो। इससे पता चलता है

कि धारा 20 उन मामलों को संदर्भित करती है जहां एक व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत किशोर अवस्था में नहीं रहा लेकिन अभी तक 18 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं किया है, तो लंबित मामला उस अदालत में इस तरह जारी रहेगा जैसे कि 2000 का अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय, किशोर को बोर्ड के पास भेजेंगे, जो किशोर के संबंध में आदेश पारित करेंगे।"

इसने निष्कर्ष निकालाः-

"37. शुद्ध परिणाम यह हैः

.....

(बी) 2000 का अधिनियम लंबित मामलों में तब लागू होगा जहां किसी न्यायालय/ प्राधिकरण में 1986 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की गई और 2000 अधिनियम के लागू होने पर लंबित है और व्यक्ति ने दिनांक 01.04.2001 को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।"

पृथक निर्णय में, हम में से एक (एस. बी. सिन्हा, न्यायाधिपति) ने कहाः

"95. अतः 2000 के अधिनियम की धारा 20 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति 01.04.2001 को 18 वर्ष से कम आयु का हो। अधिनियम की धारा 20 को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह स्थापित किया जाना चाहिए किः (i) प्रभावी होने की तारिख को वह कार्यवाही विचाराधीन थी जिसमें

याचिकाकर्ता अभियुक्त था और (ii) उस दिन वह 18 वर्ष की आयु से कम का था। उक्त अधिनियम के उद्धेश्य के लिए उपरोक्त दोनों शर्तों की पालना आवश्यक है। उक्त 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के कारणवश , केवल किशोर को संरक्षण दिया गया है लेकिन इस तरह का विस्तार असीमित नहीं है बल्कि यह सीमित है जो धारा 20 या धारा 64 में निहित पूर्ववर्ती शर्तें पूर्ण होने पर सख्ती से लागू होगा। उक्त प्रावधान बार-बार शब्द "किशोर" या "अपराधी किशोर" विशेष रूप से संदर्भित करते है। यह अधिनियम का उद्देश्य प्रतीत होता है और संसद के सच्चा आशय के लिए उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम को अपनाया जाना चाहिए। अधिनियम का उद्देश्य पराजित हो जाएगा यदि कोई बालक वयस्क के सानिध्य मे रहता है। इस प्रकार, 2000 का अधिनियम केवल एक किशोर के लिए संरक्षण देने का आशय रखता है नाकि किसी वयस्क को। अन्य शब्दों में, हालांकि यह उस व्यक्ति पर लागू होगा जो अभी भी एक किशोर है व 18 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो इसके लागू होने पर पहले से ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है या जिसने अपराध कारित करते समय 18 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किया हैं परन्तु वह किशोर नहीं रहा है।"

9. हाल ही में संसद ने किशोर न्याय (देखभाल और बच्चों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (जो 23.8.2006 के प्रभाव से लागू

हुआ) को प्रस्तुत किया गया है जिसके संदर्भ में *'किशोर' की परिभाषा को पूर्वप्रभावी व पुनस्थार्पनात्मक अर्थ यह कहते हुए दिया गया था।*

"4. मूल अधिनियम की धारा 2 में -

(iv) खंड (l) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा -

अर्थात्ः

(1) "विधि से संघर्षत किशोर" का अर्थ है एक किशोर जिस पर अपराध करने का आरोप है और अपराध कारित करने की दिनांक पर अठारहवीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

10. इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय और संसद द्वारा किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से इस प्रश्न कि क्या अपीलार्थी की आयु 1 अप्रैल 2001 को 18 वर्ष थी, पर विचार करने की आवश्यकता है।

11. इस प्रकार की स्थिती में , जहां इस संभावना के बावजूद कि जहां विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक किशोर का मुकदमा चलाया गया और कठोर सजा का दोषी ठहराया गया, इस न्यायालय ने बडी संख्या में निर्णयों में किशोर की आयु के संबंध में जांच का निर्देश दिये है।

12. हम उनमें से कुछ का उल्लेख करेंगे।

13. *गुरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्यः* (2005)12 एस०सी०सी० 615 में इस न्यायालय की पीठ ने राय दीः

"18. श्री प्रभा शंकर मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ वकील 1995 की आपराधिक अपील संख्या 710 के समर्थन में उपस्थित होकर अपीलार्थी मोहिंदर पाल सिंह की दोषसिद्धि को गुणावगुण पर चुनौती देने के अलावा , जो हम पहले ही कर चुके है, निवेदन किया कि कथित तारीख को , वह धारा 2(ज) किशोर न्याय अधिनिय, 1986(इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अर्थ के भीतर एक किशोर था, क्योकि उस तारीख को वह 16 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं कर चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुदे को विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया गया था। लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है, कि ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को पहले अभियुक्त की दोषसिद्धि की वैधता या अन्यथा पर विचार करना चाहिए और यदि दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है, तो विचारण न्यायालय से इस बिन्दु पर रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त घटना की तारीख पर किशोर था, और यदि रिपोर्ट में, यह पाया जाता है कि आरोपी ऐसी दिनांक पर किशोर था और किशोर बना रहा तो उसे किशोर गृह भेजा जाएगा। लेकिन अगर यह पता चलता है कि घटना की तारीख पर वह किशोर था, लेकिन जिस तारीख को यह न्यायालय मुकदमे से प्राप्त रिपोर्ट पर अंतिम आदेश पारित कर रही है, वह अब किशोर नहीं है, तो उसके विरूद्ध सजा खारिज किए जाने योग्य होगी। इस संबंध में *भूपराम बनाम*

यू०पी० राज्य निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के समय, विचारण न्यायालय से रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या आरोपी किशोर था या नहीं जिसमें बताया कि आरोपी घटना की तारीख को किशोर नहीं था, लेकिन यह न्यायालय, विचारण न्यायालय की रिपोर्ट से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी अपराध घटित होने की दिनांक को किशोर था और वह इस न्यायालय के फैसले के दिन किशोर नहीं रहा था, उसकी सजा खारिज कर दी गई जबकि दोषसिद्धि को बरकरार रखा। वर्तमान मामले में, हमने पहलें ही अपीलार्थी मोहिंदर पाल सिंह की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है लेकिन घटना की दिनांक को उसकी उम्र के संबंध में विचारण न्यायालय से रिपोर्ट मंगाना न्यायसंगत और समीचीन होगा।''

यह निर्देशित किया गयाः

''20 अपीलार्थी मोहिंदर पाल सिंह द्वारा दायर 1995 की आपराधिक अपील सं. 710 में विचारण न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगी जाए कि क्या घटना की तारीख को यह अपीलकर्ता किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2(ज) के अर्थ के अंतर्गत किशोर था? विचारण न्यायालय दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें। इस प्रकरण के सभी अभिलेख विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाए । इस आदेश की प्राप्ति से तीन महीने की अवधि में विचारण न्यायालय रिपोर्ट भेजें। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अंतिम आदेश इस अपील में पारित किया जाए।"

14. *रविंदर सिंह गाेरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यः* (2006) 5 एससीसी 584 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"21. न्यायालय के समक्ष किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि का निर्धारण, चाहे वह दीवानी कार्यवाही में हो या आपराधिक कार्यवाही में, प्रत्येक मामले की तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस जन्म तिथि को अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना का विषय होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान के संबंध में किसी दीवानी मामले या आपराधिक मामले में भिन्न भिन्न मानकों को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित कियाः

"38.एक व्यक्ति की विद्यालय पंजिका में या अन्यथा अंकित उम्र का विभिन्न उदेश्याेंं के लिए उपयोग किया जा सकता है, अर्थात प्रवेश प्राप्त करने के लिए; नियुक्ति प्राप्त करने के लिए; चुनाव लडने के लिए; विवाह का पंजीकरण; अधिकतम सीमा वाले कानूनों के तहत एक अलग इकाई प्राप्त करना; और यहां तक कि किसी दीवानी मंच के समक्ष वाद के उदेश्य से जैसे न्यायालय में एक अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता अथवा एक मुकदमा इस आधार पर दायर किया जाता है कि वादी का नाबालिग होने के कारण उसका उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया जा रहा हो अथवा उसकी तरफ से किया गया लेन-देन अमान्य था क्योंकि

वह नाबालिग था। न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किसी पक्ष की आयु के निर्धारण के उदेश्य के लिए समान मानक लागू करना हाेगा। किसी अभियुक्त के मामले में कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है जैसे कि अपहरण या बलात्कार के मामले में, या इसी तरह के अपराध में जहां पीडित या अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ सहमति दी हो, यदि स्कूल द्वारा बनाए गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित होगा क्याेंकि उस मामले में अभियुक्त अनुचित रूप से दोषी करार दिया जा सकता है।

39. अतः हमारे मत है कि जब एक व्यक्ति की आयु किसी संविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारण करना आवश्यक न हो तब तक साक्ष्य के भिन्न मानकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। निःसंदेह यह सत्य है कि न्यायालय को संतुलन बनाना चाहिए। विवाद की अवस्था में न्यायालय प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों काे ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों की सराहना कर सकती है। यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि यदि वह एक किशोर है तो उसे इसका लाभ प्रदान करें। एक ऐसे व्यक्ति को समान लाभ देना जो वास्तव में किशाेर नहीं है, पीडित के साथ अन्याय कर सकता है। इस मामले में, अपीलार्थी ने कभी भी अपनी दलील पेश करने में गंभीरता नहीं दिखाई थी कि वह अपराध करने की तारीख को

किशोर था। उसने पहली बार इस तरह का बयान तब दिया जब धारा 313 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत उसका परीक्षण किया गया।

40. अपीलार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक सुसंगत तथ्य है। उसके पिता गांव के "प्रधान" थे। उसके पास एक बिना लाईसेंस वाली बन्दूक पायी गयी। उसका प्रतिनिधित्व आरंभ से ही एक अधिवक्ता द्वारा किया गया था। न्यायालय ने आकलन किया था कि उसकी आयु 18 वर्ष है। उसका अन्य अभियुक्तगण के संयुक्त रूप से विचारण किया गया। उसके साथ अन्य अभियुक्तगण की तरह समान व्यवहार किया गया था। प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर भी अपीलार्थी अन्य अभियुक्तगण के साथ समान स्तर पाया जाता है। अभियोजन ने अपना पक्ष साबित कर दिया है। वास्तव में ऐसा कोई अभिवचन नहीं उठाया जा सकता था क्योंकि समान स्थिति वाले व्यक्तियों की विशेष अनुमति याचिका तब खारिज कर दी गई थी जब न्यायालय ने पहली बार उसके द्वारा उठाए गए तर्क कि वह घटना की तारीख पर नाबालिग था, के संबंध ने नोटिस जारी किया गया था।"

15. हालांकि इस न्यायालय ने *जितेन्द्र राम बनाम झारखण्ड राज्य* 9(2006) एससीसी 428 में पाया कि इस तरह की समान स्थिति में जांच करना आवश्यक होगा। यह कहा गया थाः

"20 हालांकि, हम *भाेला भगत बनाम बिहार राज्य* में न्यायालय के निर्णय से अनजान नहीं हैं जहां एक न्यायालय पर पर यह दायित्व डाला गया है कि जहां सामाजिक रूप से उन्मुख कानून की लाभकारी प्रकृति को

ध्यान में रखते हुए ऐसी याचिका दायर की जाती है, तो उसकी बडी सावधानी से जांच की जानी चाहिए। हालांकि, हमारी राय है कि इसका अर्थ यह नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो इसका अधिकारी नहीं है उसे उक्त अधिनियम के लाभ पर केवल इसलिए नरमी से विचार किया जाएगा क्योंकि ऐसी याचिका दायर की गई है। प्रत्येक याचिका को उसकी योग्यता के आधार पर आंका जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

22. इसलिए, हमारा विचार है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध कारित किए जाने की दिनांक पर अपीलार्थी की आयु का पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए।"

16. इसलिए हमारा मत है कि इस मामले में विचारण न्यायाधीश को, अपराध की दिनांक पर अपीलार्थी की आयु के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि अपीलार्थी उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ में एक किशोर था तो कानून के अनुसार उन्हें मामलें में उसे आगे बढना चाहिए, इसे तदनुसार निर्देशित किया जाता है।

17. उपरोक्त आधार पर अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।